

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-36/2018
प्रेषकः

2903

/कृ० पटना, दिनांक 23-5-2018

हिमांशु कुमार राय, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स त्रिगुणा एग्रीटेक प्रा०लि० (गुलाबबाग, पूर्णियाँ)
सोनोली चौक, एन०एच०-31,
गुलाबबाग, पूर्णियाँ।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या...38/2018.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि...22/05/2021.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्व फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

Handwritten signature
21.5.18

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 2903

/कृ०, पटना, दिनांक 23-5-2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
21.5.18
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Handwritten signatures and initials



FORM 'B'

(See Clause 5)



LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 38/2018 Date 23/05/2018

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स त्रिगुणा एग्रीटेक प्रा०लि०, गुलाबबाग, पूर्णियाँ, is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at सोनोली चौक, एन०एच०- 31, गुलाबबाग, पूर्णियाँ the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स त्रिगुणा एग्रीटेक प्रा०लि० (गुलाबबाग, पूर्णियाँ), हॉसदा रोड, पोस्ट- गुलाबबाग, प्रखण्ड- पूर्णियाँ पूर्व, जिला- पूर्णियाँ।	मेसर्स त्रिगुणा एग्रीटेक प्रा०लि० (गुलाबबाग, पूर्णियाँ) सोनोली चौक, एन०एच०- 31, गुलाबबाग, पूर्णियाँ
पूरब - मोती लाल पन्ना लाल	पूरब - संचेती पावर हाउस
पश्चिम - वकील पासवान	पश्चिम - एस०एन०सी०एल० प्रा०लि०
दक्षिण - हॉसदा रोड	दक्षिण - एन०एच०- 31
उत्तर - बिन्दा सिंह	उत्तर - करणीदान संचेती

Date: 23/05/2018Seal: 0913/07/01/मनु-36/2018 - 2903

W. S. S.
21.5.18
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna.
Director of Agriculture
Bihar, Patna.

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

- The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
- The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
- This license comes into force with immediate effect and shall be valid up to 22/05/2021
(22nd may 2021)
Unless previously cancelled or suspended.
- The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
- The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
- Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

मेसर्स त्रिगुणा एग्रीटेक, प्रा०लि०, (गुलाबबाग, पूर्णियाँ), बिहार के द्वारा मेसर्स अरूणोदय एग्री जेनेटिक प्रा०, लि० (रंगा रेड्डी, तेलंगाना) से प्राप्त निम्न फसल प्रभेदों का ब्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 2903

दिनांक: 26/05/2018

LIST OF CROP & VARIETIES

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	RED GRAM	ANMOL
2	PADDY	GURU, PROMISE, HEERA, WONDER, HIMALAYA, TP- 999
3	SSG	T-567, T-567(W)
4	WHEAT	MUKHIYA, KANAK
5	SOYBEAN	GARIMA, ANOKHI
6	MUSTARD	AJOOBI
7	SUNFLOWER	SURYA
8	BHENDI	EVERGREEN, P-43
9	BRINJAL	SWAD, RAMYA
10	BOTTLE GOURD	KOMAL
11	RIDGE GOURD	RAGINI
12	CHILLIES	MEGHA, VIJAYA
13	BAJRA (PEARL MILLET)	KAMAAL, ASHOKA
14	DOLICHOS BEAN	CHARAN
15	CORIANDER	ABHIRUCHI
16	TOMATO	ANUPAMA, AKARSHA
17	MAIZE	CHAMPION, TURBO, CAPTAIN, LEADER

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

H. K. Ray
21/5/18
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Ok
21/5/18
4